धारा 80 उ०प्र० राजस्व संहिता सन् 2006

खातेदार की भूमि उद्योग अथवा निवास के प्रयोजन हेतु घोषित करने का प्रारूप

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

| ग्राम का नाम | खातेदार का नाम पिता/पति का नाम तथा निवास स्थान | खतौनी संख्या | खाते का विवरण खसरा | मालगुजारी | भूमि जिसे प्रयोजन हेतु घोषित करने का विवरण: खसरा | क्षेत्रफल | विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिये भूखण्ड का कोई भाग काम में लाया जा रहा है। | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

**मण्डल:- वाराणसी,जनपद:- चन्दौली,तहसील:- चन्दौली**

**न्यायालय उपजिलाधिकारी**

**वाद संख्या:- 3839/2023**

**मानव विकास एवं कल्याण संस्था टस्टी बजरिये डॉ0 ब्रजेश कुमार वर्मा बनाम सरकार**

**कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202314180103839**

**अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

**आदेश तिथि:- 26/08/2023**

**अंतिम आदेश**

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मानव विकास एवं कल्याण संस्था बजरिये ट्रस्टी डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मुसाफिर प्रसाद वार्ड नम्बर 5 लोकमान्य तिलक नगर सकलडीहा रोड चन्दौली द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि स्थित मौजा चन्दौली परगना मझवार के आराजी नम्बर 335 कुल रकबा 0ण्5220 हे0 मे से वैधानिक अंश रकबा 0ण्4935 हे0 पर संक्रमणीय भूमिधर व काबिज दाखिल है उक्त आराजी में वादी अपना गैर कृषि कार्य जिसमें हॉस्पिटलध्कालेज वगै0 का कार्य सम्पन्न किया जाना है बाउन्ड्रीवाल हो चुकी है यह कि वादी गैर कृषि कार्य हेतु अपनी क्रय शुदा आराजी पर हॉस्पिटलध्कालेज मान्यता प्राप्त करके गैर कृषि कार्य सम्पन्न करना चाहता है। गैर कृषि घोषित करने की कृपा करे ताकि न्याय हो।

उक्त प्रा0 प0 की जॉच तहसीलदार चन्दौली से करायी गयी। तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से स्थलीय जॉच कराकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि स्थित मौजा चन्दौली के आराजी नम्बर 335 कुल रकबा 0ण्5220हे0 मे से रकबा 0ण्4930 हे0भूमि आवेदक द्वारा क्रय व दान ली गयी है आकार पत्र 41 व 45 एवं 1356 व 1359 फसली में उपरोक्त आराजी के पुराने नम्बर में काश्तकार का नाम दर्ज है उक्त आराजी पर आवेदक मानव.विकास एवं कल्याण संस्था द्वारा संचालित कालेज बनाना चाहता है वर्तमान मे उपरोक्त आराजी पर अकृषिक कार्य होता है आवेदक के वैधानिक अंश रकबा 0ण्4935हे0 भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा.80 के अन्तर्गत घोषित किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी। वादी द्वारा अपने वाद के समथ.र्.न मे आराजी निजाई से संबंधित खतौनी व खसरे तथा आधार वर्ष की खतौनी की प्रमाणित प्रति व नकल खसरा 1359 फसली की प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया तथा जी0ब0आ0प041 व 45 दाखिल किया गया है। तथा उपनिबन्धक चन्दौली द्वारा निर्धारित कृषि दर का एक प्रतिशत के अनुसार मु0 58500 ;अणतीस हजार पांच सौ द्ध रूपये का व्यवसाय शुल्क व उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क व मु01000 रूपये का सीमांकन शुल्क जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी मौजा चन्दौली परगना मझवार चन्दौली 1426.1431 फसली के अवलोकन से विदित होता है कि आ0नं0 335 रकबा 0ण्5220हे0 पर विजय कुमार आदि के नाम दर्ज है। खतौनी 1359 फसली व आकार पत्र 41 व 45 मौजा बगही चन्दौली परगना मझवार चन्दौली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत आराजी काश्तकारी भूमि है। खसरे के अवलोकन से विदित होता है कि भूमि काश्त नही की जाती है। चूंकि वादग्रस्त आराजी पर किसीप्रकार का कृषि कार्य नही किया जाता है। गैर कृषि प्रयोजन मे लायी जा रही है। साथ ही वादी द्वारा निर्धारित उद्घोषण शुल्क व न्याय शुल्क व विभाजन शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त आराजी मे मौके पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही किया जाता है एवं गैर कृषि प्रयोजन मे लायी जा रही है। ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनो के इतर भूमि का उपयोग होता है या धारा.80;4द्धउ0प्र0रा0सं0 2006 में उल्लिखित प्राविधानो इस धारा. के अधिन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नही की जाएगी यदि उसका समाधान हो जाए कि भूमि कृषि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे ;सार्वजनिक न्यूसेन्सद्ध होने की सम्भावना है या सार्वजनिक व्यवस्थाए सार्वजनिक स्वास्थ्यएसुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्व हो का उल्लंघन होता है या किसी प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो अकृषिक हेतु उद्घोषित आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। अभिलेख असत्य पाये जाने पर स्वतः समाप्त माना जायेगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए मौजा चन्दौली परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली मे स्थित आ0नं0 335 रकबा 0ण्5220 हे0 मे से रकबा0ण्4935हे0 लगान खाते से अवमुक्त कर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। भविष्य में यदि कोई विपरीतध्प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यदि प्रस्तावित गाटे का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हैध्किया जाता है तो वह अंश इस आदेश से मुक्त होगा। आदेश की एक प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार चन्दौली को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक 26 अगस्त 2023

26/08/23

दिग्विजय प्रताप सिंह

उप जिलाधिकारी सदर

चन्दौली।

1

सत्यप्रतिलिपि

31.9.23